

नामों और हितों के बारे में कथन वर्त्ते की अपेक्षा करने और उसे प्रयोग वर्त्ते द्वीपक्षित।

22. (1) फलपटर ऐरो किसी व्यक्ति से यह गी अपेक्षा कर राकेगा कि यह एक कथन सह-स्वत्वधारी, उप-स्वत्वधारी, वंशकदार अधिग्राही के रूप में या अन्यथा उस भूमि में या उसके पितृ भाग में कोई हित रखने वाले ऐरो प्रत्येक अन्य व्यक्ति का नाम और ऐरो हित की प्रकृति और कथन की तारीख से पूर्ववर्ती पिछते तीन वर्षों में उस देखे प्राप्त या प्राप्त समय उस अपेक्षा की तारीख के पश्चात् के तीस दिन से अन्यून का नहीं होगा) और रथान पर उससे करे या उसे परिदृष्ट करे।

(2) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसको इस धारा ये अधीन कथन करने और उसे परिदृष्ट करने की अपेक्षा की गई है, भारतीय दंड शिक्षिता ये धारा 175 और धारा 176 के अर्थात् ऐसा करने के लिए विधिक रूप से आवश्यक रामज्ञा जाएगा।

1860 का 45

फलपटर धारा जांच और भूमि अर्जन अधिनियम।

23. इस प्रणाले नियत दिन को या ऐरो किसी अन्य दिन को, जिसके लिए जांच रथान दी गई है, फलपटर उन आक्षेपों के बारे में, यदि कोई हो, जो धारा 21 के अधीन दी गई सूधना के अनुराग में हितवद्ध किसी व्यक्ति ने धारा 20 के अधीन किए गए मापदण्डों के संबंध में किए हैं और अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख पर भूमि के भूत्य और प्रतिकर तथा पुनर्वासन और पुनर्वरस्थापन का दावा करने वाले व्यक्तियों के संबंधित हितों के बारे में जाओ करने के लिए अप्राप्त होगा, और—

(क) भूमि के सही क्षेत्र के बारे में;

(ख) धारा 31 के अधीन यथा पारित पुनर्वासन और पुनर्वरस्थापन अधिनियम राहित धारा 27 के अधीन यथा अवधारण ऐसे प्रतिकर के बारे में, जो उसकी राय में भूमि के लिए अनुज्ञात किया जाना चाहिए; और

(ग) जिन व्यक्तियों के संबंध में यह जात है या विश्वास है कि वे भूमि में हितवद्ध हैं या उन व्यक्तियों में से उनमें जिनके संबंध में या जिनके दावों की उसे सूचना है, चाहे वे स्वयं उसके समक्ष उपस्थित हुए हों या नहीं, उक्त प्रतिकर के प्रभाजन के बारे में, स्वहस्ताक्षरित अधिनियम देगा।

कलियम मामलों में 1894 के अधिनियम 1 के अधीन आरंभ की गई भूमि अर्जन अधिनियम, अर्जन की प्रक्रिया का व्याप्त हुआ समझा जाना।

24. (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अधीन आरंभ की गई भूमि अर्जन की कार्यवाहियों के ऐसे किसी मामले में,—

1894 का 1

(क) जहाँ उक्त भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 11 के अधीन कोई अधिनियम नहीं किया गया है, वहाँ प्रतिकर का अवधारण किए जाने से संबंधित इस अधिनियम के सभी उपबंध लागू होंगे; या

(ख) जहाँ उक्त धारा 11 के अधीन कोई अधिनियम किया गया है, वहाँ ऐसी कार्यवाहियां उक्त भूमि अर्जन अधिनियम के उपबंधों के अधीन उसी प्रकार जारी रहेंगी मानो उक्त अधिनियम निरसित नहीं किया गया है।

1894 का 1

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अधीन आरंभ की गई भूमि अर्जन की कार्यवाहियों की दशा में, जहाँ उक्त धारा 11 के अधीन अधिनियम इस अधिनियम के प्रारंभ के पांच वर्ष या उससे अधिक वर्ष पूर्व किया गया है, किंतु भूमि का भौतिक कवाया नहीं लिया गया है या प्रतिकर का संदाय नहीं किया गया है, वहाँ उक्त कार्यवाहियों के बारे में यह समझा जाएगा कि वे व्यपात हो गई हैं और समुचित सरकार, यदि वह ऐसा विकल्प अपनाती है, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार ऐसे भूमि अर्जन की कार्यवाहियां नए सिरे से आरंभ करेगी :

परन्तु जहाँ अधिनियम किया गया है और अधिकांश भूधृतियों की बाबत प्रतिकर फायदाग्राहियों के खाते में जारा नहीं किया गया है, वहाँ अधिसूचना में विनिर्दिष्ट सभी फायदाग्राही उक्त भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 4 के अधीन अर्जन के लिए इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार प्रतिकर के हकदार होंगे।

उम्मीदवार द्वारा
मृत्यु प्रदेश विभाग
सुन्दरवर्ष विभाग